

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 30/6/15

संचिका सं०-17/ए०-01/12-383(17) स्वा०, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के शिशु रोग विभाग के सह प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लिखित चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	चिकित्सक शिक्षक का नाम / वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रोन्नति के उपरांत पदस्थापन का स्थान
1	2	3
1.	डा० ए० के० जायसवाल, नालन्दा चि० महा०, पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2.	डा०(श्रीमती) नीलम वर्मा, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
3.	डा० गोपाल शरण, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
4.	डा० अरविन्द कुमार, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
5.	डा० विनोद कुमार सिंह, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
6.	डा० कृपा नाथ मिश्र, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय
7.	डा०(श्रीमती) अलका सिंह, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
8.	डा० सुशील भूषण (अनुसूचित जाति), जवाहर लाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	जवाहर लाल नेहरु चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शेखर चन्द्र बर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 17/ए<sup>1</sup>-01/12-383(17) स्वा०, / पटना, दिनांक- 30/6/2015

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मा० मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/सचिव स्वा० के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी, प्रशाखा-17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 1 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।